



दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(कला, विज्ञान, वाणिज्य एवं बी.एड. संकायों की नैक (B⁺⁺) प्रत्यायित संस्था)

सिविल लाइन्स, गोरखपुर-273001

सम्बद्ध : दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

विवरणिका

2021-22



उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 'अ' श्रेणी में वर्गीकृत

Website : www.dnpgcollege.edu.in

Helplin Email : dnpgonline@gmail.com

Offiical Email : dnpggkp@gmail.com

Contact Number : 0551-2334549

For Social App links (Click one icon) :





प्रबन्ध-समिति

- | | | | |
|-----|--------------------------------|---|-------------------|
| 1. | प्रो. यू.पी.सिंह | — | अध्यक्ष |
| 2. | श्री प्रमोद कुमार चौधरी | — | उपाध्यक्ष |
| 3. | महन्त योगी आदित्यनाथ जी महाराज | — | मंत्री / प्रबन्धक |
| 4. | श्री योगी कमलनाथ | — | संयुक्त मंत्री |
| 5. | श्री योगी त्यागीनाथ | — | सदस्य |
| 6. | श्री मिथिलेश नाथ | — | सदस्य |
| 7. | श्री गोरक्ष प्रताप सिंह | — | सदस्य |
| 8. | श्री धर्मेन्द्र सिंह | — | सदस्य |
| 9. | श्री ज्योति मस्करा | — | सदस्य |
| 10. | श्री द्वारिका तिवारी | — | सदस्य |
| 11. | प्राचार्य | — | पदेन सदस्य |
| 12. | शिक्षक प्रतिनिधि | — | पदेन सदस्य |
| 13. | शिक्षणेतर कर्मचारी प्रतिनिधि | — | पदेन सदस्य |





हमारे आदर्श

महाराणा प्रताप

मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के पुण्यवचन जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी अर्थात् 'माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी गरिमामय होते हैं' को अपना आदर्श मानते हुए स्वदेश, स्वधर्म और स्वाभिमान के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले परमवीर महाराणा प्रताप का परमोज्ज्वल चरित्र ही हमारा अभीष्ट है। भक्त कवि रहीम की प्रसिद्ध पंक्ति 'जो दृढ़ राखै धर्म को तिहिं राखै करतार' इन्हीं प्रतापी महाराणा प्रताप को ध्यान में रखकर सृजित हुई थी। ये दोनो ही पंक्तियाँ महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की विशिष्टता का परिचायक और प्रतीक हैं। इस मातृसंस्था द्वारा दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय की स्थापना इन्हीं बोधवाक्यों के आलोक में, इस स्पष्ट उद्देश्य के साथ की गयी कि यहाँ अध्ययन करने वाले युवा समसामयिक ज्ञान-विज्ञान तथा मानवीय गुणों का सृजन करने वाले तथा कला-साहित्य के अध्ययन के साथ ही आत्मनिष्ठ और राष्ट्रनिष्ठ सुयोग्य नागरिक बनें।




दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोरखपुर

भारत के स्वाधीनता संग्राम में बाल गंगाधर तिलक का युग समाप्त होते-होते कांग्रेस के नेतृत्व पर प्रश्न चिह्न लगने लगा था। 1920 ई. के बाद क्रान्तिकारी आन्दोलन ने अलग राह पकड़ी और 1930-31 ई. तक आते-आते कांग्रेस के स्पष्ट सहयोग के अभाव में क्रान्तिकारियों का दमन करने में ब्रिटिश हुकूमत सफल रही। यद्यपि इस समय तक अंग्रेजों द्वारा भारत में अंग्रेजियत में रमे बाबुओं की फौज खड़ी करने की शिक्षा नीति का प्रभाव भी दिखने लगा था। देश के नायकों के समक्ष एक चुनौती थी कि भारत की नयी पीढ़ी को भारतीयता के साँचे में कैसे ढालें। अपनी संस्कृति एवं स्वदेशी दृष्टि की शिक्षा प्रणाली और शिक्षा नीति ही इस चुनौती





का एक मात्र समाधान था। इस चुनौती को भारतीय मनीषियों ने स्वीकार भी किया। महामना मदन मोहन मालवीय के अथक प्रयासों से फरवरी 1916 ई. में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का लोकार्पण हुआ। भारतीय संस्कृति आधारित शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु स्थापित यह विश्वविद्यालय अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर एक नया मानक स्थापित कर आगे बढ़ा। इसी धारा को तत्कालीन गोरक्षपीठाधीश युगपुरुष महन्त दिग्विजयनाथ जी ने आगे बढ़ाते हुए सन् 1932 ई. में गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की नींव रखी। ब्रिटिश शासन को शिक्षा के क्षेत्र में भी भारतीय मनीषियों द्वारा यह कड़ी चुनौती थी कि भारत अपने पैरों पर खड़ा होने में समर्थ है। भारत अपना तंत्र, अपनी शिक्षा, अपनी संस्कृति और अपने मूल्यों की पुनः स्थापना अपनी योजनानुसार करेगा। यह दूरदृष्टि थी कि देश जब आजाद होगा तब तक देश की व्यवस्था चलाने हेतु भारतीय पद्धति के शिक्षा संस्थानों से निकले युवा तैयार मिलेंगे।



देश पराधीन था, जनता विपन्न थी, ज्ञान-कौशल के अभाव में स्वाभिमान और राष्ट्रीय नवनिर्माण की चेतना का जागरण दुष्कर था। महन्त दिग्विजयनाथ जी महाराज अपनी संकल्प-शक्ति के बल पर आजादी की लड़ाई के एक प्रमुख शस्त्र के रूप में शैक्षिक क्रान्ति के पथ पर भी आगे बढ़े। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अन्तर्गत 1932 ई. में गोरखपुर नगर के बक्शीपुर में किराये के एक मकान में 'महाराणा प्रताप क्षत्रिय स्कूल' प्रारम्भ हुआ। 1935 ई. में इसे जूनियर हाईस्कूल की मान्यता मिल गई और 1936 ई. में हाईस्कूल की पढ़ाई प्रारम्भ की गयी तथा इसका नाम 'महाराणा प्रताप हाई स्कूल' हो गया। इसी बीच महन्त दिग्विजयनाथ जी महाराज के अथक प्रयास से गोरखपुर के सिविल लाइन्स में पाँच एकड़ भूमि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद को प्राप्त हो गयी और महाराणा प्रताप हाईस्कूल का केन्द्र सिविल लाइन्स हो गया तथा देश के आजाद होते समय यह विद्यालय महाराणा प्रताप इण्टरमीडिएट कालेज के रूप में प्रतिष्ठित हुआ।






1949-50 ई. में इसी परिसर में महाराणा प्रताप डिग्री कॉलेज की स्थापना 1932 ई. में स्थापित प्रदेश की अग्रणी शैक्षिक संस्था महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद, गोरखपुर का अगला पड़ाव था। अगस्त 1958 ई. में महन्त जी ने महाराणा प्रताप डिग्री कॉलेज को अपनी परिसम्पत्तियों सहित गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु उदारतापूर्वक समर्पित किया और विश्वविद्यालय की स्थापना के आधार स्तम्भ बने।

वर्तमान गोरखपुर विश्वविद्यालय का एम.बी.ए. और शिक्षा संकाय आज भी उसी महाराणा प्रताप परिसर में चल रहा है। तत्पश्चात् महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद ने युगपुरुष महन्त दिग्विजयनाथ जी महाराज के नाम से वर्तमान दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय की स्थापना की। सम्प्रति यह संस्था विश्वविद्यालय परिसर से सटे पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक प्रतिष्ठित महाविद्यालय है। इस महाविद्यालय की स्थापना 25 अगस्त 1969 को दिग्विजयनाथ डिग्री कालेज के रूप में हुई थी। इस संस्था को राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और शैक्षिक पुनर्जागरण के अग्रदूत युगपुरुष महन्त दिग्विजयनाथ जी महाराज के कर-कमलों द्वारा काल के वक्ष पर स्थापित अप्रतिम कीर्ति स्तम्भ होने का गौरव प्राप्त है।

यह स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर महानगर के हृदयस्थल गोलघर, सिविल लाइन्स क्षेत्र में गोरखपुर रेलवे स्टेशन से मात्र 1.5 किमी. की दूरी पर स्थित है। पूर्वी एवं पश्चिमी दो



परिसरों में विभक्त यह महाविद्यालय जिलाधिकारी कार्यालय, न्यायालय परिसरों तथा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के परिसरों से संलग्न है। अपने संस्थापक युगपुरुष ब्रह्मलीन महन्त दिग्विजयनाथ जी महाराज के



स्वप्नों को साकार करने के लिए प्रखर चेतना एवं सेवा-समर्पण की भावना से लोकहित में तत्पर उदारमना राष्ट्रसंत महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज के कुशल नेतृत्व में नये शिखर को प्राप्त किया था तथा वर्तमान गोरक्षपीठाधीश्वर महन्त योगी आदित्यनाथ जी महाराज के निर्देशन में संचालित यह महाविद्यालय अध्ययन-अध्यापन, अनुशासन और स्वच्छता सभी दृष्टियों से न केवल इस नगर में अपितु दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध





महाविद्यालयों में अग्रणी स्थान रखता है। यह महाविद्यालय उच्च शिक्षण संस्थानों को उनके कार्य व क्षमता के अनुरूप गुणवत्ता का प्रमाणन करने वाली भारत सरकार की स्वायत्तशासी संस्था राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, बंगलूरु (नैक) द्वारा प्रत्यायित-‘बी⁺⁺’ श्रेणी (सी. जी.पी.ए. 2.84) तथा उ.प्र. शासन द्वारा ‘अ’ श्रेणी प्राप्त है।

सामान्य सूचनाएँ

1. अभ्यर्थियों को चाहिए कि वे इन सूचनाओं को ध्यानपूर्वक पढ़कर और तदनुसार प्रवेश आवेदन-पत्र भरे। प्रवेश के पश्चात् विद्यार्थियों को इन्हीं के अनुसार आचरण करना अनिवार्य है।
2. किसी भी कक्षा में प्रवेश के समय उसके पूर्व कक्षा की स्थायी अंकतालिका ही स्वीकार की जायेगी।
3. प्रवेश फार्म व वार्षिक शुल्क ऑनलाइन ही स्वीकार किये जायेंगे। अन्य किसी भी प्रकार के शुल्क महाविद्यालय के शुल्क पटल पर जमा कर रसीद अवश्य प्राप्त कर लें। किसी भी अन्य को शुल्क देने पर अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।
4. महाविद्यालय में कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों में स्नातक पाठ्यक्रम त्रिवर्षीय होता है। कला और विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी को प्रथम तथा द्वितीय वर्ष में तीन विषयों का अध्ययन करना है, किन्तु तृतीय वर्ष में चुने गये विषयों में से केवल दो का ही अध्ययन करना होगा। इसी प्रकार वाणिज्य वर्ग में प्रथम व द्वितीय वर्ष में अनिवार्य तीन ग्रुप और तृतीय वर्ष में किसी दो ग्रुप का अध्ययन करना होगा।
5. एक संकाय/विभाग में प्रवेश हेतु भरा गया अथवा पंजीकृत आवेदन पत्र किसी भी दशा में अन्य संकाय/विभाग में स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी एक साथ कई संकायों/विभागों में प्रवेश हेतु आवेदन करना चाहता है तो उसे अलग-अलग आवेदन पत्र भरना तथा पंजीकृत कराना होगा।
6. प्रत्येक संकाय के विद्यार्थियों के लिए संस्था द्वारा निर्धारित पहनावा (यूनीफार्म) अनिवार्य है।
7. किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए लिया गया शुल्क न तो समायोजित होगा और न ही वापस होगा।
8. इन नियमों में आकस्मिक संशोधन तथा परिवर्तन का अधिकार महाविद्यालय के पास सुरक्षित है और ऐसे संशोधन वेबसाइट पर यथासमय उपलब्ध हो जाएँगे।



महाविद्यालय के संकाय एवं अनुमन्य विषय संयुक्तियाँ

विश्वविद्यालय द्वारा प्रवर्तित व्यवस्था के अनुसार महाविद्यालय में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं तथा शिक्षकों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष निर्धारित स्थान (सीट) के अनुसार स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर विभिन्न विषयों में विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

1.	बी.ए. (त्रिवर्षीय)	हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान, रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन तथा शारीरिक शिक्षा
2.	बी.एससी. (त्रिवर्षीय)	बायो ग्रुप – वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान, रसायन विज्ञान या रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन ◆ मैथ ग्रुप – गणित, कम्प्यूटर विज्ञान, भौतिक विज्ञान
3.	बी.कॉम. (त्रिवर्षीय)	◆ निर्धारित विषय/प्रश्नपत्र
4.	बी.सी.ए. (सेमेस्टर प्रणाली)	◆ निर्धारित विषय/प्रश्नपत्र
5.	एम.ए. (द्विवर्षीय)	प्राचीन इतिहास, ◆ भूगोल, हिन्दी, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र तथा राजनीतिशास्त्र
6.	एम.कॉम. (द्विवर्षीय)	◆ निर्धारित विषय/प्रश्नपत्र/ग्रुप
7.	एम.एससी. (सेमेस्टर प्रणाली)	◆ रसायन विज्ञान व गणित
8.	बी.एड. (द्विवर्षीय)	बी.एड. में प्रवेश शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होगा।

◆ स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम





प्रवेशार्थियों को चाहिए कि महाविद्यालय में प्रवेश के पूर्व निम्नलिखित नियमों का भली प्रकार अध्ययन कर लें—

महाविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रवेश हेतु आवेदन किया जा सकता है। प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु प्रवेश आवेदन शुल्क रु. 350.00 तथा अन्य कक्षाओं हेतु प्रवेश आवेदन शुल्क रु. 200.00 है। एक बार रजिस्ट्रेशन करने व उसके भुगतान के पश्चात शुल्क वापसी सम्भव नहीं होगी।

नोट— यदि किसी एक ही रजिस्ट्रेशन पर अभ्यर्थी द्वारा किसी कारणवश दो बार भुगतान किया जाता है तो उसके लिखित आवेदन व जाँच के उपरान्त नियमानुसार एक बार का शुल्क वापस कर दिया जायेगा।

अलग—अलग कक्षाओं के लिए अलग—अलग आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात् कोई भी अधिमान या अधिप्रतिनिधित्व (वेटेज) प्रमाण—पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

एम.ए., एम.एससी तथा एम.कॉम. भाग एक के आवेदन पत्र बी.ए., बी.एससी. तथा बी.कॉम. भाग तीन 2020 के परीक्षा—परिणाम आने के पश्चात् स्वीकार किये जायेंगे।

स्नातक भाग दो एवं तीन तथा स्नातकोत्तर अन्तिम वर्ष में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र सम्बंधित योग्यता प्रदायी परीक्षा का परिणाम घोषित होने के एक माह के भीतर भरना आवश्यक है अन्यथा अर्थदण्ड के साथ ही प्रवेश होगा जो अलग से शुल्क पटल पर ही देय होगा।

1. ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित से सम्बंधित अपलोड करना आवश्यक है—

- हाईस्कूल से लेकर अन्तिम उत्तीर्ण परीक्षा के अंकपत्रों की छायाप्रति।
- हाईस्कूल प्रमाण—पत्र की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।
- अन्तिम संस्था, जिसमें अभ्यर्थी ने शिक्षा पायी हो, द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
- अन्य पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति/जनजाति/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम प्रमाण पत्र (जिसके लिए लागू हो) की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।
- अधिप्रतिनिधित्व (वेटेज) जैसे—क्रीड़ा, राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी., स्काउटिंग, रोवर्स रेंजर्स आदि का प्रमाण पत्र (जिसके लिए लागू हो) की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।

विशेष : अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

2. एम.ए., एम.एससी. तथा एम.कॉम. (स्ववित्तपोषित) प्रथम वर्ष की कक्षाओं के प्रत्येक पाठ्यक्रम में छात्रों की संख्या निर्धारित है। अतः संस्था प्रबन्धन द्वारा की जाने वाली नामिती/संस्तुति के अधीन रहते हुए प्रवेश





के लिए उपलब्ध स्थान प्राप्त आवेदन-पत्रों की योग्यता प्रदायी परीक्षा के प्राप्तांकों की उत्कृष्टता (मेरिट) के आधार पर भरे जायेंगे।

3. योग्यता प्रदायी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात् अन्तराल की दशा में एक वर्ष के अन्तराल पर 5 प्रतिशत, दो वर्षों के अन्तराल पर 7 प्रतिशत तथा तीन वर्षों के अन्तराल पर 10 प्रतिशत अंकों की कटौती प्राप्तांक से करके मेरिट का निर्धारण किया जायेगा। जिन्होंने 2018 से पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे प्रवेश के लिए आवेदन न करें।
4. महाविद्यालय में सभी सम्बन्धित कक्षाओं में प्रवेश के लिए अधिमान/अधिप्रतिनिधित्व (वेटेज) के प्रतिशत को अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में जोड़कर उत्कृष्टता सूची (मेरिट) घोषित होगी।

- I. इस महाविद्यालय के संस्थागत विद्यार्थी को एम.ए., प्रथम वर्ष के लिए – 3 प्रतिशत
- II. महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अन्तर्गत संचालित विद्यालय/महाविद्यालय के विद्यार्थी के लिए— 2 प्रतिशत
- III. राष्ट्रीय सेवा योजना :
 - (अ) दो कैम्प तथा 240 कार्य घण्टा – 3 प्रतिशत
 - (ब) एक कैम्प तथा 240 कार्य घण्टा – 2 प्रतिशत
- IV. एन.सी.सी :
 - सी सर्टिफिकेट – 3 प्रतिशत
 - बी सर्टिफिकेट – 2 प्रतिशत
- V. स्काउटिंग/रोवर्स रेंजर्स :
 - (अ) राष्ट्रपति/राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त – 3 प्रतिशत
 - (ब) तृतीय सोपान/निपुण – 2 प्रतिशत
 - (स) द्वितीय सोपान/निपुण – 1 प्रतिशत
- VI. दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों के पाल्यों को प्रवेशार्थ – 10 प्रतिशत

टिप्पणी : किसी भी अभ्यर्थी को कुल दो अधिप्रतिनिधित्व वेटेज से अधिक एक साथ नहीं मिलेगा लेकिन यह अधिकतम 5 प्रतिशत होगा। केवल क्रमांक 6 के लिए यह सीमा 10 प्रतिशत होगी।

5. शासन एवं विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्राचीन इतिहास पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग में आरक्षण व्यवस्था यथापूर्व लागू रहेगी—
 - (स) अधिसंख्य आरक्षण :





महाविद्यालय के शिक्षकों/कर्मचारियों के पाल्यों के लिए स्नातकोत्तर कक्षाओं में कुल निर्धारित सीटों का क्रमशः 5 प्रतिशत

राष्ट्रीय स्तर/राज्य स्तर/ अन्तरमहाविद्यालय के खिलाड़ी – क्रमशः 3, 2 और 1 प्रतिशत।

6. प्रत्येक वर्ग में मेरिट के आधार पर प्रवेश योग्य चयनित किए गये अभ्यर्थियों की सूची महाविद्यालय के सूचना पट एवं बेबसाइट पर प्रकाशित कर दी जायेगी जिसे देखकर अवगत होना अभ्यर्थी का कर्तव्य है। प्रवेश सम्बन्धी सूचना प्राप्त करने का पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा। महाविद्यालय इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

प्रवेश योग्य घोषित अभ्यर्थी के लिए निर्धारित तिथि पर साक्षात्कार/प्रमाण-पत्र सत्यापन हेतु प्रवेश समिति के समक्ष, आवेदन पत्र के साथ लगाये गये संलग्नकों की मूल प्रतियों के साथ, उपस्थित होना अनिवार्य है।

साक्षात्कार के समय स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (टी.सी.) लाना आवश्यक है।

निर्धारित समय पर स्वयं उपस्थित न होने पर अथवा उपस्थित होने के बावजूद अपेक्षित मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थी के आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा और उसे साक्षात्कार का दूसरा अवसर नहीं दिया जायेगा।

7. साक्षात्कार के पश्चात् अन्तिम रूप में चयनित अभ्यर्थी यदि तत्काल या दी गयी तिथि पर निर्धारित शुल्क नहीं जमा करता है तो प्रवेश के लिए उसका चयन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

8. प्रवेश हेतु चयन के सम्बन्ध में महाविद्यालय के प्राचार्य एवं उनके द्वारा नियुक्त प्रवेश समिति का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा। महाविद्यालय बिना कारण बताए किसी भी कक्षा में किसी भी अभ्यर्थी का प्रवेश अस्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है, चाहे अभ्यर्थी सभी प्रकार से योग्य ही क्यों न हों। प्रवेशार्थी प्रवेश को अधिकार के रूप में नहीं मान सकते हैं।

9. कोई भी संस्थागत विद्यार्थी सम्बन्धित सत्र में 30 जून तक ही प्रमाणित विद्यार्थी माना जायेगा।



शुल्क विवरण : 2020-21 कुल शुल्क (परीक्षा शुल्क सहित)

	बी.ए.-1	बी.ए.-2	बी.ए.-3
छात्र प्रयोगात्मक सहित	4012	3547	4047
प्रयोगात्मक रहित	3772	3307	3807
छात्रा प्रयोगात्मक सहित	3868	3403	3903
प्रयोगात्मक रहित	3628	3163	3663

(बायो)	बी.एससी.-1	बी.एससी.-2	बी.एससी.-3
छात्र (समस्त वर्ग)	4512	4047	4547
छात्रा (समस्त वर्ग)	4368	3903	4403

(गणित)	बी.एससी.-1	बी.एससी.-2	बी.एससी.-3
समस्त वर्ग	13500	13500	13500

	बी.काम.-1	बी.काम.-2	बी.काम.-3
समस्त वर्ग	12500	12500	12500

	बी.सी.ए.-1	बी.सी.ए.-2	बी.सी.ए.-3
समस्त वर्ग	30000	30000	30500

विषय	एम.ए.-1	एम.ए.-2
प्राचीन इतिहास	3650	3900
भूगोल	10500	11000
हिन्दी	9500	10000
शिक्षाशास्त्र	10500	11000
समाजशास्त्र	9500	10000
राजनीतिशास्त्र	9500	10000

विषय	एम.काम.-1	एम.काम.-2
कामर्स	15000	15500

विषय	एम.एससी.-1	एम.एससी.-2
रसायनशास्त्र	28000	28500
गणित	18000	18500

पीएच.डी.	3613
----------	------





विशेष

1. कॉलेज छोड़ने की तिथि से तीन वर्ष के अन्दर प्रतिभूति राशि (कॉशनमनी) वापस की जाएगी। इस अवधि के पश्चात् यह संस्था के पक्ष में स्वीकृत मान ली जायेगी।
2. बी.ए./बी.एससी./बी.कॉम. द्वितीय एवं तृतीय वर्ष तथा एम.ए./एम.कॉम./एम.एससी. अंतिम वर्ष में प्रवेशार्थियों को कॉशनमनी नहीं देनी होगी।
3. स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रतिभूति राशि को वापस करने का विधान नहीं है।
4. उ.प्र. सरकार, शिक्षा निदेशक अथवा विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार आवश्यक होने पर बाद में भी शुल्क तालिक में संशोधन अथवा परिवर्तन किया जा सकता है, जो सर्व सम्बन्धित के लिए देय होगा।

स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) एवं अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के शैक्षिक उन्नयन हेतु नियमित कक्षाओं के अतिरिक्त विशेष कक्षाओं के संचालन की व्यवस्था है। इसकी सूचना यथासमय सूचना पट एवं वेबसाइट पर प्रसारित की जाएगी।

स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर), अल्पसंख्यक समुदाय, आर्थिक रूप से कमजोर तथा शारीरिक रूप से अक्षम विद्यार्थियों के शैक्षिक उन्नयन हेतु विशेष कक्षाओं की व्यवस्था है। इसकी सूचना भी यथासमय सूचना पट पर प्रसारित की जाएगी। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा एवं राज्य पात्रता परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के पश्चात् छात्र/छात्रायें विश्वविद्यालय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद की नियुक्ति के लिए अर्ह हो जाते हैं।

यूजीसी नेटवर्क रिसोर्स सेन्टर

महाविद्यालय में विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा कर्मचारियों में कम्प्यूटर के उपयोग के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने तथा प्रशासन, वित्त, परीक्षा, शिक्षण, शोध आदि कार्यों में इसका उपयोग करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नेटवर्क रिसोर्स सेन्टर की स्थापना की गयी है, जिससे महाविद्यालय सूचना एवं संचार नेटवर्क में संसाधन सम्पन्न हो सके। महाविद्यालय में कम्प्यूटर साइंस विभाग द्वारा समय-समय पर कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है।

ईक्वल अपार्च्युनिटी सेन्टर

सामाजिक एवं आर्थिक रूप से दुर्बल एवं विशेषकर अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) एवं अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों तथा शैक्षिक एवं गैर-शैक्षिक कर्मचारियों के





हितों के संरक्षण हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार महाविद्यालय में ईक्वल अपार्च्यूनिटी सेन्टर की स्थापना की गयी है। प्राचार्य की अध्यक्षता में 'ईक्वल अपार्च्यूनिटी सेन्टर' भी गठित है।

स्वास्थ्य केन्द्र एवं डे केयर सेन्टर

महाविद्यालय में विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा कर्मचारियों तथा जनसामान्य के स्वास्थ्य सम्बन्धी परीक्षण हेतु 'ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ प्राथमिक उपचार केन्द्र' की स्थापना की गयी है। सुयोग्य चिकित्सक सप्ताह में दो दिन (मंगलवार एवं बुधवार) प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक पूर्वी परिसर में उपस्थित रहते हैं। इसी क्रम में वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन नियमित रूप से किया जाता है।

इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये वित्तीय संसाधन से 'डे केयर सेन्टर' भी स्थापित है।

इंग्लिश स्पीकिंग सेंटर

अंग्रेजी भाषा के बोलचाल में दक्षता बढ़ाने के लिए महाविद्यालय में "इंग्लिश स्पीकिंग सेंटर" की कक्षाएँ आवश्यकतानुसार संचालित की जाती हैं। विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि इसका लाभ अवश्य उठाएँ। इसकी सूचना यथासमय सूचना पट पर प्रसारित की जाएगी।

योग प्रशिक्षण

महाविद्यालय में विद्यार्थियों को उत्तम स्वास्थ्य और चरित्र देने के लिए सुयोग्य प्रशिक्षक एवं आचार्य की देखरेख में योग प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गयी है। जिसमें छात्र/छात्राओं को अलग-अलग निर्धारित समय में प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें रुचि रखने वाले विद्यार्थी महाविद्यालय योग प्रशिक्षण केन्द्र के संयोजक से विशेष जानकारी प्राप्त करें।

व्यायामशाला (जिमनेजियम) एवं खेलकूद

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा अनुदानित महाविद्यालय के पश्चिमी परिसर में एक व्यायामशाला है जो आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है। प्रत्येक कार्य दिवस पर व्यायामशाला प्रातः 6:00 बजे से 8:00 बजे तक खुली रहती है। व्यायाम में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों एवं विद्यालय परिवार के सदस्यों से इसका लाभ उठाने की अपेक्षा की जाती है।

खेलकूद

महाविद्यालय में टेबल टेनिस, वालीबॉल, बैडमिंटन तथा क्रिकेट आदि खेलों की समुचित व्यवस्था है। खेलकूद में विशेष कौशल प्रदर्शित करने वाले विद्यार्थियों को महाविद्यालय की ओर से प्रमाण-पत्र तथा





पुरस्कार भी प्रदान किये जाते हैं। अच्छे खिलाड़ियों के लिए और भी कई प्रकार की प्रोत्साहनपरक सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं। जिनकी जानकारी क्रीड़ाप्रभारी से प्राप्त की जा सकती है।

पुस्तकालय एवं वाचनालय

महाविद्यालय में पुस्तकालय एवं वाचनालय के साथ इन्टरनेट एवं वाई-फाई की भी व्यवस्था है। प्रत्येक विद्यार्थी पुस्तकालय नियमावली के अनुसार पुस्तकें प्राप्त करने का अधिकारी है। विद्यार्थियों को चाहिए कि वो नियम एवं आवश्यक निर्देशों का पालन करते हुए पुस्तकालय एवं इन्टरनेट का लाभ अवश्य उठायें।

छात्र-संसद

नेतृत्व की क्षमता विकसित करने तथा महाविद्यालय क्रिया-कलापों के संचालन में छात्रों की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न कक्षाओं के श्रेष्ठतम विद्यार्थियों तथा क्रीड़ा, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय सेवा योजना एवं रोवर्स रेंजर्स में विशेष दक्षता प्राप्त विद्यार्थियों को इसमें प्रतिनिधित्व दिया जाता है।

अनुशासनिक नियम एवं आवश्यक निर्देश

महाविद्यालय में विद्यार्थियों की कठिनाई के निराकरण एवं परिसर में अनुशासन बनाये रखने के लिए नियन्ता मण्डल का गठन किया गया है, जो सत्र पर्यन्त विद्यार्थियों के कल्याण एवं उसकी सहायता के लिए तत्पर रहता है। यहाँ का प्रत्येक विद्यार्थी महाविद्यालय परिवार का एक जिम्मेदार सदस्य होता है। इसलिए उससे अपेक्षा की जाती है कि वह अपने क्रिया कलापों एवं आचरण के प्रति सचेष्ट रहकर महाविद्यालय के सम्मान व शैक्षिक गरिमा को बनाये रखने में तत्पर रहे।

गणवेश (यूनीफार्म) से सम्बन्धित आवश्यक निर्देश

1. सभी विद्यार्थियों के लिए महाविद्यालय परिसर में एक निश्चित ड्रेस (गणवेश) लागू है।
2. प्रवेश के पश्चात् सभी विद्यार्थी महाविद्यालय के डिस्पले बोर्ड पर प्रदर्शित ड्रेस के प्रारूप को देखकर एक सप्ताह के भीतर अपना ड्रेस बनवा लें।
3. यूनीफार्म छात्रों के लिए – हल्के बादामी रंग का फुल शर्ट, कोका कोला रंग का फुल पैन्ट तथा चमड़े का काला जूता।
4. यूनीफार्म छात्राओं के लिए – कोका कोला रंग का कुर्ता (छोटे कॉलर का), हल्का बादामी रंग का सलवार, हल्का बादामी रंग का दुपट्टा व काला जूता या सैण्डल। शीतकाल में उपर्युक्त यूनीफार्म के साथ मैरून रंग का स्वेटर/ब्लेजर पहनना होगा।





परिचय-पत्र

महाविद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए परिचय पत्र बनवाना अनिवार्य है। विद्यार्थी को चाहिए कि प्रवेश के पश्चात् वह तत्काल परिचय पत्र बनवा लें तथा अनिवार्य रूप से महाविद्यालय परिसर में सदैव अपने पास रखें। परिचय पत्र के अभाव में महाविद्यालय परिसर में प्रवेश वर्जित है।

मूल परिचय पत्र खो जाने लेखा विभाग में 50.00 नगद शुल्क जमा करके परिचय पत्र की द्वितीय प्रति प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए विद्यार्थी को अपने मूल परिचय पत्र की संख्या का उल्लेख करते हुए एक प्रार्थना पत्र तथा शपथ पत्र मुख्य नियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। प्रत्येक परिचय पत्र जारी किये जाने की तिथि से सत्रांत तक वैध होगा। सत्रांत के बाद परिचय पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने विभाग तथा नियन्ता कार्यालय के सूचना पट को नित्यप्रति देखा करें ताकि महाविद्यालयों की सूचनाओं से अवगत हो सकें।

उपस्थिति

उत्तर प्रदेश शासन तथा दी.द.उ.गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के निर्देशानुसार प्रत्येक विषय के विद्यार्थियों के लिए कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है। इससे कम होने पर उनका परीक्षा आवेदन पत्र अग्रसारित नहीं होगा एवं उन्हें परीक्षा से वंचित किया जायेगा। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सभी संबंधित विषयों में निर्धारित प्रतिशत तक उपस्थित रहें।

छात्रावास की सुविधा

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली की सहायता से महाविद्यालय परिसर में दिग्विजयनाथ पोस्ट ग्रेजुएट कालेज महिला छात्रावास में महाविद्यालय की छात्राओं के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध है। छात्रावास में कमरों के आवंटन हेतु छात्राओं की आवश्यकता, उनकी शैक्षिक योग्यता और उनके पैतृक स्थान से दूरी के आधार पर वरीयता दी जाती है। छात्राएँ छात्रावास के लिए प्रवेश फार्म व नियमावली दिग्विजयनाथ पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज महिला छात्रावास के अधीक्षक से महाविद्यालय में प्रवेश के पश्चात् शुल्क की रसीद प्राप्त कर सकती है।





राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस)

महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र/छात्रों के लिए चार इकाइयाँ संचालित है जिनके माध्यम से विभिन्न गतिविधियों जैसे—जन साक्षरता, प्रौढ़ शिक्षा, समाज सेवा, शारीरिक श्रम के प्रति गौरव भाव, राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर जनजागरण आदि रचनात्मक कार्यों का संचालन किया जाता है। इस कार्यक्रम में निर्धारित कार्याविधि पूर्ण कर लेने पर विद्यार्थियों को अन्य कक्षाओं में प्रवेश तथा राजकीय सेवाओं में वरीयता प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों को चाहिए कि 30 सितम्बर 2020 तक कार्यक्रम अधिकारीगण से सम्पर्क कर के सदस्यता फार्म प्राप्त कर उसे पूरित करके सदस्यता सुनिश्चित कर लें।

रोवर्स—रेंजर्स

महाविद्यालय मे स्नातक स्तर पर विद्यार्थियों के लिए रोवर्स—रेंजर्स की सुविधा उपलब्ध है। इसमें प्रशिक्षित सदस्यों को उच्च कक्षाओं में प्रवेश एवं राजकीय सेवाओं में वरीयता प्रदान की जाती है। इच्छुक छात्र रोवर्स की सदस्यता हेतु प्रभारी एवं रेंजर्स की सदस्यता हेतु संयोजक से सम्पर्क करें।

शिकायत एवं परामर्श प्रकोष्ठ

महाविद्यालय में विद्यार्थियों के शैक्षिक, व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत समस्याओं के निवारण के लिए ग्रीवान्स एवं परामर्श प्रकोष्ठ की स्थापना की गयी है। विद्यार्थीगण अपनी समस्याओं के समाधान के लिए इसके संयोजक से सम्पर्क कर सकते है।

प्लेसमेंट सेल

महाविद्यालय में छात्र—छात्राओं को अध्ययन के उपरान्त रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु प्लेसमेंट सेल गठित है। इच्छुक विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकते है।

पूर्व छात्र परिषद

महाविद्यालय में पूर्व एवं वर्तमान छात्रों के बीच आपसी सम्बन्ध तथा अनुभव के आदान—प्रदान एवं महाविद्यालय की प्रगति के संबंध में सुझाव देने हेतु इस परिषद का गठन किया गया है। इस परिषद में महाविद्यालय के निवर्तमान प्राध्यापक/कर्मचारी/ स्नातकोत्तर एवं स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण छात्र—छात्रायें सदस्य बन सकते है। सदस्यता हेतु समन्वयक से सम्पर्क करें। (वार्षिक सदस्यता शुल्क रूपये 100.00 एवं आजीवन सदस्यता शुल्क रूपये 1000.00)





शिक्षक—अभिभावक संघ

महाविद्यालय में शिक्षक अभिभावक संघ का गठन इस उद्देश्य से किया गया है कि अभिभावकगण अपने पाल्यों की शिक्षा से सम्बन्धित किसी भी कमी या अपने सुझाव से प्रभारी को अवगत करा सकें इसके लिए वर्ष में दो बार सामान्य बैठक निर्धारित की गयी है।

एंटी रैगिंग समिति

महाविद्यालय परिसर में विद्यार्थियों द्वारा किसी भी प्रकार का परस्पर उत्पीड़न पूर्णतः निषेध है। महाविद्यालय के किसी भी छात्र/छात्रा के प्रति मारपीट, अशिष्ट व्यवहार, प्रताड़ना, अभद्र टिप्पणी, गाली—गलौज, जाति सूचक टिप्पणी आदि में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से संलिप्त पाये जाने पर दोषी के विरुद्ध नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

छात्रसंघ का गठन

महाविद्यालय में छात्रसंघ का गठन लिंगदोह कमेटी की संस्तुति के अनुरूप शासन के निर्देशानुसार किया जायेगा।

महाविद्यालय पत्रिका 'अरावली'

विद्यार्थियों की रचनात्मक प्रतिभा को विकसित करने के लिए महाविद्यालय द्वारा वार्षिक पत्रिका 'अरावली' का प्रकाशन होता है। इसलिए उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे सम्पादक मण्डल के निर्देश से इस सुविधा का उपयोग अपने अन्दर छिपी रचनात्मक प्रतिभा की अभिव्यक्ति के लिए करें।

छात्रवृत्तियाँ

1. शासनादेश के अनुरूप राज्य सरकार से प्राप्त अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य वर्ग के उन विद्यार्थियों को जो इस सीमा के अन्तर्गत आते हैं, छात्रवृत्तियाँ उपलब्ध हैं।
2. महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की ओर से महाविद्यालय में अध्ययनरत बी.ए., बी.एससी., बी.कॉम. भाग 1, 2 तथा 3 में एवं एम.ए., एम.कॉम., एम.एससी. पूर्वाह्न एवं उत्तराह्न में योग्यता के आधार पर प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को योग्यता छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
3. महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद, गोरखपुर द्वारा संचालित शिक्षा संस्थानों में अध्ययनरत तथा शिक्षा, क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक क्रिया कलाओं के क्षेत्र में अपनी बहुमुखी योग्यता के आधार पर स्नातकोत्तर (एम.ए.) के श्रेष्ठतम विद्यार्थी को युगपुरुष महन्त दिग्विजयनाथ स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है।





4. महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद, गोरखपुर द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत तथा शिक्षा, क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक क्रिया कलाओं के क्षेत्र में अपनी बहुमुखी योग्यता के आधार पर स्नातक (बी.ए., बी.एससी., बी.कॉम.) के श्रेष्ठतम विद्यार्थी को राष्ट्रसंत मंहत अवेद्यनाथ स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है।
5. महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद, गोरखपुर द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत स्नातकोत्तर (एम.ए.) अन्तिम वर्ष के सर्वोच्च अंक प्राप्त विद्यार्थी की स्व. कृष्णा कुमारी चौधरी स्मृति पुरस्कार (रु 2100.00) प्रदान किया जाता है।
6. महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद, गोरखपुर द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत स्नातकोत्तर (बी. ए., बी.एससी., बी.कॉम.) अन्तिम वर्ष के सर्वोच्च अंक प्राप्त विद्यार्थी की स्व. राम लखन चौधरी स्मृति पुरस्कार (रु 2100.00) प्रदान किया जाता है।
7. महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद, गोरखपुर द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत संस्थापक सप्ताह समारोह के अन्तर्गत आयोजित सभी प्रतियोगिताओं में श्रेष्ठ विजेता प्रतियोगी को पं. सरवन मिश्र स्मृति पुरस्कार (रु 12000.00) प्रदान किया जाता है।
8. क्रीड़ा के क्षेत्र में मण्डल, राज्य एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर पर विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को शिक्षा परिषद तथा महाविद्यालय द्वारा विशेष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

छात्र सहायता

1. प्रतिभावान, जरूरतमंद तथा निर्धन विद्यार्थियों को नियमानुसार छात्र सहायता कोष से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। निर्धनता के आधार पर सहायतार्थ आवेदन करने वाले को आय प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत) प्रस्तुत करना होगा।
2. छात्र सहायता के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी संयोजक, छात्र कल्याण समिति द्वारा यथासमय सूचना पट पर प्रसारित की जायेगी।

उत्सव/सभाएँ एवं सांस्कृतिक क्रियाकलाप

महाविद्यालय में मुख्य रूप से निम्नलिखित अवसरों पर उत्सव, सभाएँ एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

1. स्वतंत्रता दिवस : दिनांक 15 अगस्त
2. युगपुरुष महन्त दिग्विजयनाथ जी महाराज की पुण्य तिथि : सितम्बर में (तिथि के अनुसार)
3. महाराणा प्रताप जयन्ती एवं पुण्यतिथि : जयंती -09 मई, पुण्य तिथि - 19 जनवरी
4. गाँधी एवं शास्त्री जयन्ती : दिनांक 2 अक्टूबर





5. संस्थापक समारोह : दिनांक 04 दिसम्बर से 10 दिसम्बर
6. स्वामी विवेकानन्द जयन्ती : दिनांक 12 जनवरी
7. नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जयन्ती : दिनांक 23 जनवरी
8. गणतंत्र दिवस : दिनांक 26 जनवरी
9. वार्षिक क्रीड़ा समारोह दिसम्बर माह के तृतीय सप्ताह में

इनके अतिरिक्त विभिन्न विभागों में समय समय पर विशिष्ट व्याख्यान, संगोष्ठी, सेमिनार, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

संग्रहालय

प्राचीन इतिहास पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग में एक संग्रहालय स्थापित है, जिसमें पाठ्यक्रम से सम्बन्धित मूर्तियाँ, अभिलेख, लिपि, चार्ट, मन्दिर, स्तूप स्तम्भ की प्रतिकृतियाँ उपलब्ध हैं। इच्छुक विद्यार्थी प्रत्येक कार्य दिवस पर इसका लाभ उठा सकते हैं।

महाविद्यालय की भावी योजनाएँ

उच्च शैक्षिक वातावरण बनाये रखने हेतु महाविद्यालय की भावी योजनायें निम्नवत हैं—

1. गृहविज्ञान, मध्यकालीन इतिहास एवं दर्शनशास्त्र विषय में स्नातक तथा कम्प्यूटर साइंस विषय में स्नातकोत्तर कक्षाओं के संचालन की योजना।
2. कालेज विद पोर्टेशियल फॉर एक्सीलेंस के लिए प्रयासरत।
3. महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए कम प्रीमियम पर 1 लाख का स्टूडेंट सेफ्टी इंश्योरेंस पालिसी प्रारम्भ करने की योजना।
4. कौशल विकास के लिए शार्ट टर्म कोर्स (टेलरिंग, फैशन डिजाइनिंग, गृह उद्योग आदि) लागू करने की योजना।

विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपनी शैक्षिक समस्याओं तथा अन्य व्यावहारिक कठिनाइयों के निवारण के लिए पहले मुख्य नियंता अथवा अपने संकाय के प्रभारी से सम्पर्क करें। वहाँ से निराकरण न होने पर ही प्राचार्य से मिलें। प्राचार्य के आदेश से इस नियमवाली में आवश्यकतानुसार किसी भी समय परिवर्तन एवं संशोधन किया जा सकता है। इस नियमवाली के अतिरिक्त समय-समय पर आवश्यकतानुसार जो निर्देश या नियम जारी किये जायेंगे, उनका पालन करना महाविद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अनिवार्य है।





उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज का अध्ययन केन्द्र (केन्द्र कोड : एस 520)

हमारी संस्था में विगत कई वर्षों से सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। इसके अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों से व्यवसाय कर रहे लोग तथा कहीं भी नौकरी कर रहे महिला/पुरुष लाभ उठा सकते हैं। इन पाठ्यक्रमों में वर्ष में दो बार (जनवरी तथा जुलाई) प्रवेश होता है। अभ्यर्थी द्वारा जमा किए गए शुल्क में ही उन्हें अध्ययन सामग्री उपलब्ध करायी जाती है। इस व्यवस्था से जुड़ी सभी सूचनाएँ महाविद्यालय के अध्ययन केन्द्र अथवा मुक्त विश्वविद्यालय की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। अनुमोदित पाठ्यक्रम की सूची निम्नवत है।

डिप्लोमा/सर्टिफिकेट : **PGDCA, PGDD, PGD- ESD, PGDJMC, GDRJMC,
PGDWH, APHFE, CCY, DRD, DCY**

स्नातक : **B.A., B.Com., BBA BCA, BLIS,
B.Sc.(Bio& Math), UGSS-Arts, UGSS-SC**

स्नातकोत्तर : **M.Com., MBA, MCA, MLIS MA-
ECONOMICS, Education, Hindi, History,
Political Science, Sanskrit, Sociology.**

इसके अतिरिक्त जो भी विषय/डिप्लोमा पाठ्यक्रम मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा संचालित होते हैं, उन सभी विषयों के अध्ययन का लाभ सम्बद्ध अभ्यर्थी उठा सकते हैं।





मातृ संस्था
महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद
का
कुलगीत

यह महाराणा प्रतापाख्यावती ।
शिक्षा-परिषद ज्ञान की मन्दाकिनी ॥

नाथ मन्दिर की अखण्ड ज्योति से
प्रज्वलित यह भारती की आरती
यह भगीरथ से व्रती व्यक्तित्व की,
दिग्विजय की यशो गाथा पावनी ॥ शिक्षा परिषद ज्ञान की मन्दाकिनी ॥

सिद्ध श्री गोरक्ष की विज्ञान-भू में,
बुद्ध वीर कबीर की निर्वाण भू में ।
ज्ञान की धात्री चरित्र विज्ञान की,
राप्ती पर प्रकट विद्या वनी ॥ शिक्षा परिषद ज्ञान की मन्दाकिनी ॥

हों प्रताप समान फिर युवजन कृती,
देशभक्त, स्वधर्म-निष्ठ कुलव्रती ।
इसलिए सारस्वतानुष्ठान यह,
शैक्षणिक जागर्ति की कादम्बिनी ॥ शिक्षा परिषद ज्ञान की मन्दाकिनी ॥





मातृ संस्था
महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद
ध्वजगान

आहिन्दूकुश भरत खण्ड में,
सप्त द्वीप में, भुवन अण्ड में,
धर्म नीतिमय कनक दण्ड में,
लहर-लहर लहरे SS। केसरिया ध्वज फहरे।

राम कृष्ण अर्जुन के रथ का,
बलिदानी ज्योतिर्मय पथ का,
तपस्या का ध्यान-ज्ञान का,
चिर निशार फहरे SS। केसरिया ध्वज फहरे।
लहर-लहर लहरे SS।

वीर शिवा राणा प्रताप का,
भगवा ध्वज प्यारा SS।
छत्रसाल, गुरुगोविन्द सिंह का,
यह निशान न्यारा SS।
देश-धर्म पर बलि-बलि जाने,
का आह्वान करे SS। केसरिया ध्वज फहरे।
लहर-लहर लहरे SS।

आओ इसी ध्वजा के नीचे,
पुनर्जागरण मन्त्र उचारें।
कीर्तिशेष इतिहास उबारें,
क्षत, विक्षत भूगोल सँवारे।
फिर गाण्डीव उठे हाथों में
पांचजन्य मुखरे SS। केसरिया ध्वज फहरे।
लहर-लहर लहरे SS।

